मैने उभय पक्षों की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा उनके पिता अप्रार्थी सं. 1 द्वारा विवादित आराजियात को खुर्द बुर्द करने की आशंका बताई हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा जिन व्यक्तियों को पक्षकार बनाया गया है, उनके विरूद्ध ही रिलीफ चाही गई है। अन्य के विरूद्ध रिलीफ नही चाही गई है। अतः प्रार्थी द्वारा अन्य के विरूद्ध प्रार्थना पत्र मे रिलीफ नही चाही जाने से प्रार्थी की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी पी सी खारीज किये जाने योग्य है।।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी पी सी खारीज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 17.10.2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

10/22 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के विरुद्ध कोई अनुतोष नही चाहने बाबत निवेदन किया गया।

अप्रार्थी सं. 2 के विरुद्ध कोई अनुतोष नही चाहते है
[illegible]
Identified Adv

वकील प्रार्थी द्वारा उभय पक्षों की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील वादी ने बताया की अप्रार्थी सं. 1 ने अपने नाम दर्ज समस्त पुश्तैनी जायदाद को अकारण विक्रय नही करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सहमति जताई है। जिसके अनुसार आदेश फरमावे। तथा अप्रार्थी सं. 2 के विरुद्ध कोई अनुतोष नही चाहा गया है। वकील प्रतिवादी सं. 2 द्वारा बताया की वर्तमान के भूमि मृतक लक्ष्मीशंकर, गीता, व नन्दू देवी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त खातेदारों की मृत्यु हो चुकी है विधि अनुसार मृतक खातेदार के विधिक ~~खातेदारों की मृत्यु हो चुकी है विधि अनुसार मृतक खातेदार~~ वारिस खातेदारो का नाम राजस्व अभिलेख में आना आवश्यक है। किन्तु माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश की वजह से मृतक खातेदारो का नाम नामान्तरण नही खुल पा रहा है

Scanned with CamScanner

इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे।

वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के उपलब्ध रेकार्ड अनुसार तथा अप्रार्थी सं. 1 की सहमति अनुसार मूलवाद के निस्तारण तक उक्त विवादित कृषि आराजियात तथा मृतक खातेदारों से विरासत से आने वाली भूमि के अप्रार्थी सं. 1 अपने हिस्से तक में विक्रय रहन, बंधक या बख्शीश नहीं करे। अतः न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर पूर्व में जारी अंतरिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के आंशिक तौर पर तरमीम की जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थी सं. 1 को पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम पण्डेर प.स. पण्डेर तह. जहाजपुर की आराजी न. 5067 रकबा 0.0567 है, आ.न. 5082 रकबा 0.2590 है, आ.न. 5084 रकबा 0 रकबा 0.2752 है आ.न. 5085 रकबा 0.1133 है, आ.न. 5087, रकबा 0.0081 है कुल किता 5 रकबा 0.7123 है तथा ग्राम बिरोडा प.स. बिरोडा की आराजी न. 855 रकबा 0.4752 है आ.न. 860 रकबा 0.4752 है तथा ग्राम जागोलाई प.स. जगवन्तपुरा की आराजी न. 1138 रकबा 1.2464 है आ.न. 1140 रकबा 0.9065 है तथा ग्राम जगवन्तपुरा प.स. जगवन्तपुरा की आराजी न. 3879 रकबा 0.7689 है आ.न. 3882 रकबा 0.4532 है भूमि के मूलवाद के निस्तारण तक अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से तक विक्रय, रहन, बंधक या बख्शीश नहीं करे। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा विवादित आराजियात के अन्य सहखातेदारों अथवा अन्य किसी भी प्रकार के रिकार्ड परिवर्तन पर लागू नहीं होगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)